भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 190

(दिनांक 02.02.2022 को उत्तर के लिए)

सूचना आयुक्त के कार्यालय में रिक्त पद

190. श्री ई.टी.मोहम्मद बशीर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के संज्ञान में यह बात आई है कि विभिन्न राज्यों के सूचना आयुक्तों के कार्यालय में बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) और (ख) : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 यह प्रावधान करती है कि प्रत्येक राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और इसके अधीन किए जाने वाले कार्यों का निष्पादन करने के लिए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक राज्य सूचना आयोग का गठन करेगी। इसके अलावा, इस अधिनियम की धारा 15 (2) यह प्रावधान करती है कि राज्य सूचना आयोग, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की आवश्यक समझी जाने वाली ऐसी संख्या जो 10 से अधिक न हो, से मिलकर बनेगा।

राज्य सूचना आयोगों में सूचना आयुक्तों की रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों का विषय है।

*****